पत्र सं०–03/परी०–B.T.S.C.-63/2019 ...489 दि० 12-03-22

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग

19, हार्डिग रोड, पटना।

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–02/2020, फिजियोथेरापिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में काउंसलिग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आयोग के वेबसाईट –www.btsc.bih.nic अथवा इस लिंक पर (http://103.112.252.140/PHYSIO/) आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जा रहा है।

अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर अथवा Email एवं जन्म तिथि डालकर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से असंतुष्ट/असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित **दिनांक–12.03.2022 से दिनांक–18.03.2022** तक आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते है।

उक्त ऑनलाईन ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई–मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें :–

1. कतिपय संस्थानों से निर्गत प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र के संबंध में काउंसलिंग दल/कार्यालय जाँच के क्रम में संदेहास्पद पाते हुए उनकी अभ्यर्थिता को "Hold: पर रख दिया गया है। वैसे सभी "संदेहास्पद/आयोग स्तर से जाँच" उल्लेखित अभ्यर्थियों के Remarks कॉलम में "Hold: प्रमाण–पत्र/अंक पत्र संदेहास्पद अथवा M.P.T Master of Physiotherapy का प्रमाण–पत्र संदेहास्पद" अंकित कर, संबंधित संस्थानों के संबंध में जाँच किया जा रहा है।
2. ऑनलाइन आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थी को पुनः उसी आधार पर दावा करने का कोई औचित्य नहीं है।
3. कार्यानुभव का अंक केवल संविदा के आधार पर बिहार सरकार के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को दिया गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है। यदि अभ्यर्थी स्वयं को ऐसा पाते हैं तो पुनः इस आधार पर उन्हें दावा करने का कोई औचित्य नहीं है।
4. अनुभव की गणना दिनांक–16.03.2020 तक की गई है। अनुभव प्रमाण–पत्र एवं वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र दिनांक–15.04.2021 के पूर्व का निर्गत होने पर ही मान्य किया गया है।
5. वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र (दिनांक–15.04.2021 के पूर्व का निर्गत) काउंसलिंग में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
6. ऑनलाइन आवेदन में जिस भी कोटि में दावा किया गया है, परन्तु काउंसलिंग में किसी अन्य कोटि का प्रमाण–पत्र दिया गया है अथवा निर्धारित तिथि यथा 15.04.2021 के बाद का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को सामान्य (General) कोटि में रखा गया है। पुनः उसी प्रमाण–पत्र के आधार पर दावा करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि उस तिथि (15.04.2021) के पूर्व के निर्गत प्रमाण–पत्र को आज आपत्ति के रूप में समर्पित करने पर उक्त प्रमाण–पत्र काउंसलिंग में उपस्थित नहीं करने का युक्तसंगत कारण बताना होगा अन्यथा की स्थिति ऐसे मामलों पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है।

7. वैसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा आरक्षित कोटि में दावा किया गया, परन्तु जाति अथवा क्रीमीलेयर रहित अथवा आर्थिक रूप से कमजोर कोटि का प्रमाण–पत्र पति के नाम से निर्गत है, वैसे अभ्यर्थी को सामान्य (General) कोटि में रखा गया है।

उपर्युक्त कारणों से कार्यानुभव का अंक नहीं देने/कोटि परिवर्तन होने पर अथवा उम्र सीमा निर्धारित तिथि से अधिक होने पर आवेदन पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

नोटः–

1. **प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।**
2. **संलग्न सूची उक्त काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ एवं साक्ष्य आधारित आपत्ति दायर करने के प्रयोजनार्थ उनसे संबंधित विवरणी अपलोड की गयी है। इसे किसी भी रूप में चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।**

अनु०: – संलग्न सूची (कुल अभ्यर्थियों की संख्या–43+11+01=55)
(कुल 14 पन्ना)

11.3.2022

सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।